samadhaan.msme.gov.in

एम.एस.एम.ई. समाधान - विलंब भुगतान निगरानी प्रणाली

लंबित भुगतान की समस्या एम.एस.एम.ई. उद्यमियों के लिए अत्यधिक जटिल समस्या के रूप में उभर रही है| अनेकों प्रयासों के बाद भी एम.एस.एम.ई. अपने भुगतान पाने में असमर्थ है । कोविड जैसी महामारी में यदि लंबित भुगतानों का निराकरण हो जाता है तो एम.एस.एम.ई. उद्यमियों को अपने उद्योग में आ रही कार्यशील पूंजी की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा लंबित भुगतान की समस्या के समाधान के लिए सराहनीय कदम उठाये गये है जिनमें एम.एस.एम.ई. समाधान पोर्टल भी सम्मिलित है परन्तु सरकार को इसके सफल क्रियान्वन के लिए अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों / सीपीएसई / राज्य सरकारों द्वारा भुगतान में देरी से संबंधित अपने मामलों को सीधे दर्ज करने के लिए देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए विलंबित भुगतान पोर्टल - एम.एस.एम.ई. समाधान शुरू किया है।

संबंधित प्रावधान

एम.एस.एम.ई के विलंबित भुगतानों के निपटान का प्रावधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में दिया गया है जिसके अनुसार खरीदार रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना राशि पर आपूर्तिकर्ता को मासिक ब्याज के साथ कंपाउंड ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है जब वह आपूर्तिकर्ता को माल / सेवा की स्वीकृति के 45 दिन के भीतर भुगतान नही करता है। आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं।

सहायता की प्रकृति

इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एमएसई आपूर्तिकर्ता वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार के खिलाफ ऑनलाइन आवेदन अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंधित एमएसईएफसी को दायर कर सकते है। एमएसईएफसी काउंसिल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर कार्यवाही करेगा। कार्यवाही की सक्रिय गतिविधियों सम्बंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, राज्य सरकार आदि को भी दिखाई देंगी।

राज्य के एमएसईएफसी एम.एस.ई. इकाई द्वारा दायर किये गये मामले की जांच के बाद एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत प्रावधानों के अनुसार ब्याज के साथ देय राशि के भुगतान के लिए खरीदार इकाई को निर्देश जारी करेगा ।

कौन आवेदन कर सकता है

कोई भी सूक्ष्म या लघु उद्योग जिनके पास वैध उद्योग आधार (UAM) हो आवेदन कर सकते हैं।

एम.एस.एम.ई. समाधान विलंबित भुगतान पोर्टल पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है :

1. Samadha.msme.gov.in पर क्लिक करे ।
2. जैसा की उद्योग आधार में मोबाइल नंबर है उसी के आधार पर उद्यमी अपना उद्योग आधार एवं मोबाइल नंबर डाले । सत्यापन कोड भरे और vaildate उद्योग आधार पर क्लिक करे । उद्योग आधार में रजिस्टर्ड मेल आई डी पर एक OTP प्राप्त होगा । OTP भरने के बाद उद्यमी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है ।

3. यदि उद्यमी ने उद्योग आधार के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, तो पहले udyogaadhaar.gov.in पर अपना पंजीकरण करें ।
4. पोर्टल पर अपलोड करने के लिए उद्यमी के पास पीडीएफ में अधिकतम तीन वर्क आर्डर और तीन चालान होने चाहिए। फ़ाइल का आकार 1 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. उद्योग आधार नंबर या एप्लिकेशन नंबर डाल कर उद्यमी अपने मामले की स्थिति देख सकते हैं।

Source-
https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx